निर्णय बईजलास डॉ. भारती दीक्षित, आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 26/अपील/22

उनवान अपील

01. भेरूसिंह आत्मज भगवान सिंह आयु 50 साल जाति राजपूत
02. देवीसिंह आत्मज भगवान सिंह आयु 38 साल जाति राजपूत
03. ईश्वरसिंह आत्मज भगवान सिंह आयु 34 साल जाति राजपूत
04. पार्वती बाई बेवा भगवान सिंह आयु 73 साल जाति राजपूत

निवासीयान कोलीखेड़ा तहसील पिड़ावा हाल सुनेल जिला झालावाड़ (अपीलान्ट्स)

बनाम

01. दुल्लेसिंह पुत्र रामलाल आयु 63 साल जाति सौंध्या राजपूत
    निवासी कोलीखेड़ा तहसील पिड़ावा हाल सुनेल जिला झालावाड
02. श्रीमती मनोहर बाई पत्नी शिव लाल आयु 58 साल जाति सोंध्या राजपूत
    निवासी कोलीखेड़ा तहसील पिड़ावा हाल सुनेल जिला झालावाड
03. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील सुनेल

(रेस्पो0)

अपील बनाराजी आदेश नायब तहसीलदार सुनेल दिनांक 13.02.2013 नामान्तरण संख्या 400 निरस्त करने बाबत।

उपस्थितः– श्री चरण सिंह अभिभाषक अपीलांट्स
पेरोकार सरकार

–: निर्णय :–

दिनांकः 28.06.2022

यह अपील अपीलान्टगण द्वारा नायब तहसीलदार सुनेल के आदेश दिनांक 13.02.2013 जिसके द्वारा ग्राम कोलीखेड़ा तहसील पिड़ावा हाल तहसील सुनेल की आराजी ख0न0 269 की 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से 1/2 हिस्से में स्थित चाह के बैचान स्वरूप नामान्तरकरण सख्या 400 तस्दीक किया गया से असन्तुष्ट होकर पेश की है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मेंमो में निवेदन किया है कि ग्राम कोलीखेड़ा की आराजी खाता संख्या 75 की खसरा न0 269 की 10 बीघा व 10 बिस्वा व खसरा नं0 269 पर स्थित चाह पक्का कुआ में अपीलांटगण का 1/2 हक हिस्सा कब्जा काश्त भू राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अपीलांटगण उक्त आराजी व चाह कुआं के स्वामित्व एवं खातेदारी अधिकारी है। अपीलांटगण ने अपने खातेदारी हक हिस्सा खसरा नं0 269 में स्थित चाह कुआं में 1/2 हिस्सा रेस्पों0 1 लगायत 2 को दिनांकः12.12.2012 को अक्षरे साठ हजार रूपये में बैचान कर कब्जा संभला दिया था लेकिन रेस्पों0 1 लगायत 2 ने हल्का पटवारी से साठगांठ कर अपीलांटगण के हिस्से की आराजी खाता संख्या 75 की खसरा नं0 269 की 10 बीघा व 10 बिस्वा आराजी में 1/2 हिस्सा का इंतकाल अपने पक्ष में दिनांक 12.02.2013 को तस्दीक करवा लिया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सार संग्रह के विपरित होने से अपास्त होने योग्य है अपील स्वीकार कर नामान्तरण 400 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

अपील पूर्व में अदम हाजरी अदम पेरवी में न्यायालय हाजा से खारिज हो जाने पर प्रा0पत्र रेस्टोरेशन अपील प्रस्तुत किया गया प्रा0पत्र में अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नही हुए तत्पश्चात प्रा0पत्र में बाद सुनवाई प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को रेस्टोर किया गया।

जिला कलक्टर
झालावाड़

बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मींमों की पुष्टी करते हुए व्यक्त किया कि ग्राम कोलीखेड़ा की आराजी खाता संख्या 75 की खसरा न0 269 की 10 बीघा व 10 बिस्वा व खसरा नं0 269 पर स्थित चाह पक्का कुआ में अपीलांटगण का 1/2 हक हिस्सा कब्जा काश्त भू राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । अपीलांटगण ने अपने खातेदारी हक हिस्सा खसरा नं0 269 में स्थित चाह कुआं में 1/2 हिस्सा रेस्पों0 1 लगायत 2 को दिनांक: 12.12.2012 को अक्षरे साठ हजार रूपये में बैचान कर कब्जा संभला दिया था लेकिन रेस्पों0 1 लगायत 2 ने हल्का पटवारी से साठगांठ कर अपीलांटगण के हिस्से की आराजी खाता संख्या 75 की खसरा नं0 269 की 10 बीघा व 10 बिस्वा आराजी में 1/2 हिस्सा का इंतकाल अपने पक्ष में दिनांक 12.02.2013 को तस्दीक करवा लिया गया। अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 400 निरस्त किया जावे। इस पर पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम कोलीखेड़ा की आराजी खाता संख्या 75 की खसरा न0 269 की 10 बीघा 10 बिस्वा में अपीलांट्स का 1/2 हिस्सा कब्जा काश्त भू राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व उक्त खसरा नम्बर में ही चाह स्थित है जिसमें भी अपीलान्ट्स का 1/2 हिस्सा है, किन्तु राजस्व रेकार्ड में चाह पृथक से दर्ज नही है व उसका पृथक से खसरा नम्बर अंकन नही है। पत्रावली के संलग्न बैचान पत्र में अस्पष्ट अंकन की वजह से अपीलान्ट्स के 1/2 हिस्से की आराजी का रेस्पोडेन्ट के पक्ष में बैचान मानकर नामान्तरकरण संख्या 400 तस्दीक होना स्पष्ट है। ग्राम कोलीखेड़ा की वर्ष 2013 की डीएलसी दर निम्नानुसार है (बीड की रू.27000/- असिचिंत की रू.41000/- व सिंचित की रू.78000/-) व बैचान पत्र में स्पष्ट अंकन है कि आराजी सिंचित है। इस प्रकार बैचान की गई आराजी 1/2 हिस्सा अनुसार 05 बीघा 05 बिस्वा होती है जिसकी तत्समय की डीएलसी दर अनुसार भूमि का बैचान मूल्य रू.4,09,000/- होता है और उसी अनुरूप स्टाम्प शुल्क व अन्य शुल्क भी लगाये जाते हैं। जबकि जो बैचान है व मात्र रू.60,000/- का है और उसी अनुरूप ही स्टाम्प शुल्क व अन्य शुल्क लिये गये है। इस प्रकार जो बैचान किया गया है वह मात्र चाह का ही है जो रेकार्ड में अलग से दर्ज नही होने व पृथक खसरा न0 अंकन नही होने से जानबूझ कर रेस्पोडेन्ट को फायदा पंहुचाने के ईरादे से नामान्तरकरण 1/2 सम्पूर्ण हिस्से का रेस्पोडेन्ट के पक्ष में तस्दीक होना साबित है। रेस्पोडेन्ट को सूचना पत्र से तामील होने के उपरान्त भी न्यायालय हाजा में उपस्थित नही होने से इस बात को बल मिलता है कि नामान्तरकरण संख्या 400 मात्र चाह का होना चाहिये था जो मिली भगत कर सम्पूर्ण 1/2 आराजी का रेस्पोडेन्ट के पक्ष में तस्दीक किया गया है। इसी तरह नामान्तरकरण के कॉलम न0 16 में रिपोर्ट पटवारी में भी अस्पष्टता होना साबित है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम कोलीखेड़ा का नामान्तरकरण संख्या 400 निरस्त किया जाता है व तहसीलदार तहसील सुनेल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे ग्राम कोलीखेड़ा की आराजी ख0न0 269 की 10 बीघा 10 बिस्वा आराजी में स्थित चाह का पृथक से खसरा न0 कायम कर तदुपरान्त अपीलान्ट्स के 1/2 हिस्से के चाह जिसका बैचान रेस्पोडेन्ट्स 1 व 2 के पक्ष में किया गया है का नामान्तरकरण तस्दीक करे। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2022 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर,
झालावाड़